

23/12/22

पत्रावली पेश हुई अपीलाट एवं उन्हे क्षमिववता  
ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन  
किया कि प्रकरण में पक्षकारों के बीच आपसी शांतिनामा  
हो जाने से गठ-क्षपीय (अंतर्गत धारा 15 अन्वयधितिभक्त)  
को विचारा करना चाहते हैं।

अतः इस प्रकरण को विचारा करने की अनुमति  
दी जाती है। पत्रावली में कोई कार्रवाही विशेष नहीं  
होने से पत्रावली फिलहाल शुरु होकर चालू है।

जिला जलकटर  
बांसवाड़ा (राज.)



एम शंकर पोश्री  
८  
जि